उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ–226001 ☎ : 2238846, 2236600 फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक 6925/12 दिनांक 04/10/12

सर्वोच्च प्राथमिकता / अतिमहत्वपूर्ण

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,
समस्त पैरामेडिकल एवं नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र।

विषयः प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 15.06.2012 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–3447 / 71–2–12–58 / 2002 दिनांक 28 सितम्बर, 2012 की छायाप्रति व उसके साथ संलग्न 'प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 15.06.2012 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त' संलग्न कर इस आशय से भेजा जा रहा है कि उक्त कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशानुसार रैगिंग रोकने संबंधी आवश्यक कार्यवाही तत्काल अपने स्तर से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

कृपया अधिकारात भाग है।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी

पत्र सं0 दिनांक : ....

प्रतिलिपि– श्री शिवराम त्रिपाठी, अनुसचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 को शासन के पत्र सं0–3447 / 71–2–12–58 / 2002 दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ–226001 ☎ : 2238846, 2236600 फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक 6925/12 दिनांक 04/10/12

<u>सर्वोच्च प्राथमिकता / अतिमहत्वपूर्ण</u>

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,
समस्त पैरामेडिकल एवं नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र।

विषयः प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 15.06.2012 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–3447 / 71–2–12–58 / 2002 दिनांक 28 सितम्बर, 2012 की छायाप्रति व उसके साथ संलग्न 'प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 15.06.2012 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त' संलग्न कर इस आशय से भेजा जा रहा है कि उक्त कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशानुसार रैगिंग रोकने संबंधी आवश्यक कार्यवाही तत्काल अपने स्तर से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी

पत्र सं0 6926/12 दिनांक : 04/10/12

प्रतिलिपि– श्री शिवराम त्रिपाठी, अनुसचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 को शासन के पत्र सं0–3447 / 71–2–12–58 / 2002 दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी

संख्या- 2447/71-2-12-58/2002

प्रेषक,

शिवराम त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. कुलसचिव,
किंग जार्ज मेडिकल चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

3. निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ ।

4. निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट
आफ मेडिकल सांइसेज, गोमती नगर, लखनऊ

5. निदेशक,
सी0बी0एम0आर0,
लखनऊ ।

6. निदेशक,
होम्योपैथी विभाग,
लखनऊ।

7. निदेशक,
आयुर्वेद/यूनानी,
लखनऊ

8. निदेशक,
आर0आई0एम0एस0
सैफई, इटावा।

8. सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल
फैकल्टी, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 सितम्बर, 2012

विषयः- प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोक-थाम हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 15.06.2012 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या-2194/सोलह-1-2012-250/96 टी0सी0 दिनांक 10.07.2012 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोक-थाम हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 15.06.2012 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों का, अपने नियंत्रणाधीन संस्थाओं में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(शिवराम त्रिपाठी)
अनु सचिव

संख्या- (1)/71-2-12-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोक-थाम हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 15.06.2012 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त बैठक में समिति द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

2853/71-2-2012

प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शा की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 15-06-2012 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृ

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण:-

1- प्रो0 वी0के0सिंह, प्रति कुलपति, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2- श्रीमती अनीता मिश्रा, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
3- श्री ओ0पी0श्रीवास्तव, अपर आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल।
4- श्री अनिल कुमार सिंह, अपर आयुक्त, लखनऊ मण्डल।
5- श्री राजेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
6- श्री सुनील कुमार, अनुसचिव, कृषि शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- श्री एस0एस0राम, संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, मेरठ।
8- श्री साहब सिह निरायन, उप निदेशक, शिक्षा विभाग।
9- डा0 ए0अग्रवाल,एसोसिएट प्रोफेसर, सी0एस0एम0एम0यू0, लखनऊ।
10- डा0 संजीव कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, मथुरा।

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में आए हुएं सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए प्रदेश में स्थापित सभी शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशो, संबंधित विभागों के स्तर से रैगिंग की रोकथाम हेतु निर्गत शासनादेशों एवं उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 के प्राविधानों का विस्तृत जिक करते हुए सभी अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया तथा इनमें निहित प्राविधानों/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए रैगिंग पूर्णतया रोकने की दिशा में सार्थक प्रयास करने का अनुरोध किया गया।

बैठक में रैगिंग की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही कराए जाने के लिए सर्व सम्पति से निम्नलिखित मत स्थिर किये गये:-

1- रैगिंग रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी संस्थाओं की है। प्रत्येक संस्था स्तर पर रैगिंग की रोकथाम के सभी सम्भव उपाय सुनिश्चित किए जाएं। रैगिंग की कोई भी घटना घटित होने पर संस्थाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के कुलपति की जिम्मेदारी होगी।

2- सभी संस्थानों में एन्टी रैगिंग कमेटी गठित होनी चाहिए तथा कमेटी द्वारा रैगिंग रोकने के लिए संस्थाओं के सभी महत्वपूर्ण (Strategic) स्थानों यथा कैन्टीन, छात्रावास, भवन के कारीडोर, सभी भवनों के प्रत्येक फ्लोर, सभी ब्लाकों, पुस्तकालय, प्रवेश द्वार आदि में निरन्तर निगरानी रखी जाए, जिससे रैगिंग की घटना की सम्भवमाएं पूर्णतया समाप्त हो जायँ।

3- सभी संस्थाओं में रैगिंग की पूर्ण रोकथाम हेतु समयबद्ध कार्य योजना बना कर प्रभावी कार्यवाही करायी जाए तथा शिथिलता पाए जाने पर दायित्व निर्धारित करके संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करायी जाए। जिला प्रशासन के स्तर से संस्थाओं का औचक निरीक्षण कराया जाए तथा यह देख लिया जाए कि संस्थाएं रैगिंग रोकने हेतु समस्त उपाय सुनिश्चित करा रही है।

1467/9
VS(RMS)
12-7-12
(जय सिंह)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन।

विशेष सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उ0 प्र0 शासन।

16.7.12

4- सभी आयुक्त/जिलाधिकारी नये शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने पर जिला स्तरीय रैगिंग समिति की बैठकें नियमित रूप से आहूत कराते हुए रैगिंग रोकने हेतु सभी स्तरों पर आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने की कार्यवाही कराए। इसमें जिला सूचना अधिकारी को भी आमंत्रित करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।

5- जनपद में रैगिंग की प्रकाश में आयी घटनाओं में कितने के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, तथा उसके उपरान्त प्रकरणों में अब तक क्या कार्यवाही करायी गयी, इसकी प्रत्येक बैठक में समीक्षा करके आवश्यक कार्यवाही करायी जाए।

6- गतवर्ष की भाँति प्रत्येक विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की गयी कि वह अपने यहां एक एन्टी रैगिंग सेल की स्थापना करें तथा इसे पूर्णतया functional व active बनाये रखें।

7- शासन के सभी शैक्षिक विभागों से अपेक्षा की गयी कि वह अपने नियंत्रणाधीन शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने हेतु अपने स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए प्रभावी अनुश्रवण करें।

8- सभी विश्वविद्यालय स्वयं रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम, 2010 के सुसंगत प्राविधानों की होर्डिंग्स लगाने की कार्यवाही कराऐं तथा इन विश्वविद्यालयों से सभी सम्बद्ध संस्थाओं में भी अधिनियम के प्राविधानों को होर्डिंग के माध्यम से प्रदर्शित कराया जाए, ताकि उक्त अधिनियम के प्राविधान सभी के संज्ञान में आ सके तथा रैगिंग रोकने में सहायता मिल सके। प्रत्येक विश्वविद्यालय से अपेक्षा की गयी कि वह अपने यहां भी रैगिंग के संबंध में हेल्पलाइन तत्काल शुरू करे।

9- छात्रों एवं उनके अभिभावकों को प्रवेश के समय ही रैगिंग रोकने के संबंध विस्तृत प्राविधानों की जानकारी देते हुए उनसे शपथ पत्र प्राप्त किए जाए, ताकि अभिभावक भी इस दिशा में अपना योगदान दे सके। संस्थान स्तर पर प्रश्नावली तैयार करके कार्यवाही की जाए।

10- रैगिंग रोकने के संबंध में प्रख्यापित अधिनियम को संबंधित जनपदों के एफ0एम0 रेडियों को प्रसारित करने हेतु दे दें, ताकि रेडियों के माध्यम से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके तथा सभी छात्र एवं अभिभावक इसकी जानकारी दूर-दराज के क्षेत्रों में भी पा सके तथा रैगिंग रोकने के संबंध में सार्थक प्रयास हो सके।

11- सभी संबंधित विभाग एवं विश्वविद्यालय रैगिंग रोकने के शासनादेशों एवं अधिनियम को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे तथा हेल्पलाइन नम्बरों को भी प्रदर्शित किया जाए। संबंधित अधिकारीगण एवं एन्टी रैगिंग स्काड द्वारा सभी संस्थाओं का औचक निरीक्षण समय-समय पर किया जाए, ताकि रैगिंग की घटनायें बिल्कुल न हो।

12- भारत संचार निगम लिमिटेड से अनुरोध किया गया है कि समस्त जनपदों के लिए चार डिजिट का टोल फ्री नम्बर आबंटित करए। अताएव सभी जनपदों में एन्टी रैगिंग टोल फ्री नम्बर/हेल्प लाइन को 24 घंटे कार्य करना सुनिश्चित कराया जाए तथा इन नम्बरों को समाचार पत्रों, होर्डिंगों तथा अन्य प्रचार के माध्यमों से प्रचारित किया जाय।

13- शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने पर आगामी 3 माह रैगिंग की रोकथाम के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समाचार पत्रों में रैगिंग के संबंध में यदि कोई समाचार प्रकाशित होता है तो तत्संबंध में तथ्यों की सही जानकारी करके तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस संबंध में की गयी कार्यवाही से शासन के संबंधित विभागों को भी अवगत कराया जाय।

13- शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने पर आगामी 3 माह रैगिंग की रोकथाम के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समाचार पत्रों में रैगिंग के संबंध में यदि कोई समाचार प्रकाशित होता है तो तत्संबंध में तथ्यों की सही जानकारी करके तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस संबंध में की गयी कार्यवाही से शासन के संबंधित विभागों को भी अवगत कराया जाय।

14- समस्त संस्थाओं के प्रवेश द्वार तथा मुख्य स्थलों पर रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 के प्राविधानों एवं रैगिंग रोकने के उपायों से संबंधित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए होर्डिंग लगाये जाये।

15- सभी विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ अनुदानित अथवा निजी संस्थानों में रैगिंग रोकने हेतु उक्त बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए व्यापक निर्देश निर्गत करें।

16- किसी भी संस्थान में यदि कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसके संबंध में त्वरित कार्यवाही करायी जाए।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

राम गणेश
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1,
संख्या-2194/सोलह-1-2012-250/96टीसी
लखनऊः दिनांकः 1 अगस्त, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, महामहिम/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
2- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/पशुधन/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- कुलपति, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय,लखनऊ/महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोएडा।
7- कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
8- सदस्यगण, राज्य स्तरीय समिति।
9- निजी सचिव,प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,प्राविधिक शिक्षा विभाग,उ0प्र0 शासन
10-निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
12-प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2/3 ।
14-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार बाजपेई)
अनुसचिव